

न्यायालय अवर न्यायाधीश, बलिया ।
दीवानी वाद सं० – 198 / 2000
नंदलाल चौरसिया वगै०-----वादी
बनाम
रामस्वरूप पंडित वगै०----- प्रतिवादी

03 / 03 / 2021 उभयपक्ष उपस्थित है। वादी के द्वारा आदेश- 22, नियम- 04 का आवेदन दाखिल किया गया। प्रतिवादी इस पर प्रतिउत्तर देने से मना किया एवं मृत्यु की बात स्वीकार की। सुना।

दिये हुए आवेदन के अनुसार वादी का कहना है कि प्रतिवादी सं०- 03 देवनारायण पंडित की मृत्यु हो चुँका है। वे दिनांक- 10 / 03 / 2020 को मरे हैं। उनके वारिसानों का नाम आवेदन के साथ दिया गया है। हालांकि दिये हुए आवेदन में उनके द्वारा कहा गया है कि यह आवेदन समय-सीमा के अंदर दाखिल किया गया है। परंतु यह आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए एक साल कोर्ट भौतिक रूप से कार्य नहीं किया है अतः न्यायहित में इस आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय वादियों का नाम प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक- 17 / 04 / 2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, बलिया ।